न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह (टोंक)

मिसल नम्बर – 25/2024 तारीख – रजु 26.02.2024

उनवान

1. रामधन पुत्र रामकरण जाति भील निवासी महाराजपुरा तहसील मालपुरा जिला टोंक।

– प्रार्थी

बनाम

2. तहसीलदार/लैण्ड होल्डर, तहसील–टोडारायसिंह

– अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

आदेश दिनांक : 14.05.2024

प्रार्थी का मुख्य रूप से कथन है कि उनके कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नं. 209 रकबा 0.22 है0, 210 रकबा 0.01 है0, 211 रकबा 1.77 है0, 211/652 रकबा 0.02 है0 कुल किता– 4 कुल रकबा 2.02 है0 वाके ग्राम बाहेड़ा तह. टोंक में स्थित है। प्रार्थी की उक्त आराजी के पूर्व में मेड पडी हुई थी, जो वर्तमान में खुर्द–बुर्द हो चुकी है तथा आराजी के सीमा चिन्ह नष्ट हो चुके है। इस कारण वादग्रस्त आराजी के पडौसी खातेदारान सीमा चिन्ह नष्ट हो जाने के कारण प्रार्थी की उक्त आराजी में घुसकर कब्जा करना चाहते है, जिससे आए दिन लड़ाई–झगड़े होते रहते है। मौके पर कभी भी गंभीर वारदात कर सकते है। इस कारण प्रार्थी उक्त वादग्रस्त आराजी के मुस्तकील मुटाम कायम कर पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है।

प्रार्थी ने उक्त आराजी की पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार, टोडारायसिंह को निवेदन किया तो उन्होंने पत्थरगढी करने से इंकार कर दिया। जिस पर यह प्रार्थना–पत्र कायम किये जाने, सीमाचिन्ह पत्थरगढी हेतु न्यायालय हाजा में पेश करना आवश्यक हुआ।

विवाद मूल व प्रार्थना–पत्र की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का माननीय न्यायालय हाजा को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जेकाश्त आराजी खसरा नं. 209 रकबा 0.22 है0, 210 रकबा 0.01 है0, 211 रकबा 1.77 है0, 211/652 रकबा 0.02 है0 कुल किता– 4 कुल रकबा 2.02 है0 वाके ग्राम बाहेड़ा तह. टोंक को आवश्यक आदेश व निर्देश प्रदान करे तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय में मंगवाई जाये।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी प्रस्तुत होने पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थी जरिए नोटिस की गई जिस पर अप्रार्थी नम्बर 01 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि का सीमाज्ञान नही करवाया गया है। आराजी खसरा नं. 209 रकबा 0.22 है0, 210 रकबा 0.01 है0, 211 रकबा 1.77 है0 211/652 रकबा 0.02 है0 पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। किसी न्यायालय का स्थगन नहीं हैं। ना ही कोई वाद विचाराधीन है।

अभिभाषक व पैरोकार सरकार को सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया, वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल, जमाबंदी संवत् 2075–78 वाके ग्राम बाहेड़ा तह. टोंक की खतौनी संख्या 100 के अनुसार प्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक जवाब वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 209 रकबा 0.22 है0, 210 रकबा 0.01 है0, 211 रकबा 1.77 है0 211/652 रकबा 0.02 है0 पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। खातेदारान के कब्जेकाश्त की आराजी की पत्थरगढी करवाने के प्रार्थीगण हकदार है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, टोडारायसिंह को निर्देश है कि आराजी खसरा नं. 209 रकबा 0.22 है0, 210 रकबा 0.01 है0, 211 रकबा 1.77 है0 211/652 रकबा 0.02 है0 वाके ग्राम बाहेड़ा तह. टोंक में प्रार्थी से नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थी व आराजी के पडौसी खातेदारान की मौजूदगी उक्त आराजी में फसल मौजूद नहीं होने की स्थिति में सीमा ज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी करवाये। पालनार्थ तहसीलदार, टोडारायसिंह को तहरीर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे। शेष खसरा नम्बरान के संबंध में प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shiv Raj Meena
Date: 2024.09.10 14:31:33 IST
Reason: SelfAttested

(शिवराज मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
टोडारायसिंह

CamScanner